M.A. II Sem. IV

History EC (3-C)

Rural Indebtness
ग्रामीण ऋणग्रस्तता

ब्रिटिश काल में कृषकों की विपन्नता बढ़ गई। इसके साथ ही वे ऋणग्रस्त होते गए।

बंगाल में ब्रिटिश शासन के शुरुआती दौर में क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स ने किसानों से इतना लगान वसूल किया कि उन्होंने खेती करना ही छोड़ दिया।

सरकार ने राजस्व वसूली के लिए स्थाई प्रबन्ध, रैयतवारी प्रबन्ध और महलवाड़ी पद्धति अपनाई। किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। जमींदार किसानों से अबवाब (अवैध रकम), भेंट, उपहार आदि लेते थे। रैयतवाड़ी और महलवाड़ी इलाकों में भी किसानों की दशा दयनीय थी। यद्यपि तो जमींदारों का स्थान सरकार ने ग्रहण कर लिया था लेकिन वह भी जमींदारों की तरह किसानों से मनमाना राजस्व वसूल करती थी। इन इलाकों में तो किसानों को अपनी उपज का पचास प्रतिशत लगान देना पड़ता था।

Scanned with CamScanner

Rural Indebtedness

इस प्रकार लगान की ऊँची दर किसानों की विपन्नता व ऋणग्रस्तता का एक प्रमुख कारण था।

भूराजस्व में निरंतर वृद्धि और कृषि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं। उनकी ऋणग्रस्तता में सहायक बनी। उदाहरणस्वरूप 1857-58 ई० में भूराजस्व की रकम 15.3 करोड़ थी और 1936-37 में बढ़कर 35.8 करोड़ हो गया। वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही थीं तो दूसरी ओर जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही थी। परिणामस्वरूप कृषि पर निर्भरता बढ़ी। कृषि पर निर्भरता के कारण भूमि का विभाजन और उपविभाजन शुरू हुआ। इस प्रकार भूमि, उत्पादन और खेती में लगे लोगों के बीच असंतुलन पैदा हो गई। यह कहा जाने लगा कि कृषि उत्पादन में कमी का कारण भूमि की उर्वरता में कमी नहीं था, बल्कि कृषि पर बढ़ता हुआ बोझ और कृषि संसाधनों का अभाव था। कृषकों के पास पूंजी या धन की कमी थी।

ज्यों-ज्यों ब्रिटिश सत्ता का विस्तार होता

Rural Indebtness

गया सरकार का खर्च बढ़ता गया और खर्च को पूरा करने के लिए लगान में वृद्धि की जाती रही। कंपनी को बंगाल में दीवानी का अधिकार प्राप्त होने से पहले 1764-65 में जहां 8,18,000 पौंड का लगान वसूल किया गया था, वहीं दीवानी का अधिकार प्राप्त होने के बाद 1765-66 ई० में 14,70,000 पौंड लगान के रूप में एकत्र किए गए।

लगान की इस अमानवीय व्यवस्था ने उत्पादन को महंगा बना दिया, जिसके कारण कृषि व्यर्थ पिछड़ गया। कृषि के पिछड़ेपन ने आर्थिक व्यवस्था को ही नहीं बिगाड़ा, बल्कि इसे एक राजनीतिक खतरा भी बना दिया।

भू-राजस्व से जो भी आय प्राप्त होती थी, उसका भारतीय प्रशासन इंग्लैंड को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर देने तथा ब्रिटेन के व्यापार-व्यवसाय के हितों में व्यय करने में लगाती थी। विधि-व्यवस्था का प्रबंध व्यापारियों तथा सेठ-साहूकारों के हितों की रक्षा के लिए किया जाता था।

भू-राजस्व की मांग न केवल अधिक थी, बल्कि इसकी वसूली भी कठोरता से

Scanned with CamScanner

Rural Indebtness

से किया जाता था। नियत समय पर लगान नहीं देने पर कृषक की जमीन जब्त कर ली जाती थी और नीलाम कर दी जाती थी। वह जमीन से बराबर के लिए बेदखल कर दिया जाता था। कभी-कभी लगान चुकाने के लिए किसान ऊँचे ब्याज की दर पर सेठ-साहूकारों के हाथ अपनी जमीन बंधक रख देता था। मूलधन और ब्याज न चुकाने पर किसानों को अपनी बंधक जमीन से हाथ धोना पड़ता था। उनके हाथ से सेठ-साहूकारों के हाथ में जमीन का हस्तांतरण हो जाता था। जमींदार अधिकांश जाली हस्ताक्षर रीकॉड़ पर दी गई रकम से अधिक रकम लिख दिया करते थे। भोले-भाले और निरक्षर किसानों को अपनी जमीन से हाथ धो देना पड़ता था।

अब जमीन उपभोक्ता की एक वस्तु बन गई जिसकी खरीद-बिक्री, गिरवी या हस्तांतरण होने लगा।

इस प्रकार लगान की बढ़ती हुई दर तथा किसान की सामाजिक आवश्यकताओं

Rural Indebtedness

के कारण ऋणग्रस्तता बढ़ती गई। ब्रिटिश सरकार ने किसानों की इस ऋणग्रस्तता का कारण लगान की अधिकता नहीं बताया, बल्कि उन्होंने किसान की फिजूलखर्ची व सामाजिक उत्सवों व अन्य सामाजिक दायित्व में धन फूँकने की आदत को उत्तरदायी ठहराया।

सरकारी आँकड़े के अनुसार 1911 ई० तक ग्रामीण ऋण की राशि 300 करोड़ रु० हो गई थी, 1937 ई० तक बढ़कर 1800 करोड़ रु० हो गई। 1950-51 ई० में भू राजस्व और सेठ साहूकारों द्वारा दिए गए ऋण का ब्याज 1400 करोड़ रु० था।

कृषि के व्यवसायीकरण ने भी कृषकों को सेठ-साहूकारों की चंगुल में फँसा दिया। फसल कटते ही कम मूल्य पर अनाज बेचकर भू-राजस्व का भुगतान किया जाता था। शेष राशि सेठ-साहूकार को दी जाती थी। गल्ला-व्यवसायी किसानों का मनमाना शोषण करते थे। अनाजों के मूल्य का निर्धारण गल्ला-व्यवसायी ही करते थे, जो निश्चित रूप से बाजार दर से असमान और कम होता था।

Rural Indebtness

इस तरह कृषि उत्पादनों के व्यापार का एक बहुत बड़ा अंश व्यापारी को मिल जाता था जो ऋण देने का काम भी करता था।

सरकार की ओर से भूमि का किसान से साहूकार की दिशा में इस हस्तांतरण को रोकने के लिए कुछ कानूनों का निर्माण भी किया, जैसे - "बंगाल काश्तकारी अधिनियम, 1859; मद्रास काश्तकारी अधिनियम, 1889; दक्कन कृषि सहायता अधिनियम, जो आगे चलकर बम्बई प्रेसीडेंसी पर भी लागू किया गया; मध्यप्रदेश काश्तकारी अधिनियम, 1898 आदि। लेकिन ये अधिनियम अधिक कारगर सिद्ध नहीं हुए और किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

— oo —